<u>न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.</u> (आप.प्रक.क्रमांक :— 634 / 2016) (संस्थित दिनांक :— 18 / 10 / 2016)

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— मौ जिला—भिण्ड, म.प्र.

.....अभियोजन।

<u>//विरूद्ध//</u>

> <u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 29/05/2017 को घोषित)

01. आरोपी राधाकिशन पर धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :— 18/07/2016 को दोपहर लगभग 02:30 बजे ग्राम छेकुरी रोड़ के पहले मोड़ पर, उसके आधिपत्य की मोटर साईकिल कमांक एम. पी.07/एम.आर./5577 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन

संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी शिवम् को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 18/07/2016 को दोपहर लगभग 02:30 बजे ग्राम छेकुरी रोड़ के पहले मोड़ पर, वाहन मोटर साईकिल कमांक एम.पी.07/एम.आर./5577 के चालक द्वारा उक्त मोटर साईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी शिवम् को टक्कर मारकर उपहित कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी शिवम् द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ में की जाने पर, थाना मौ में वाहन मोटर साईकिल कमांक एम.पी.07/एम.आर./5577 के चालक के विरूद्ध अपराध कमांक 142/2016 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी शिवम् की एक्स-रे रिपोर्ट में अस्थिमंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरूद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। वाहन मोटर साईकिल कमांक एम.पी. 07/एम.आर./5577 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी शिवम्, कौशल गुर्जर एवं अकबर

खाँ के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्त राधािकशन के विरूद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 338 भा.द. सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी राधा किशन ने दिनांक : 18/07/2016 को दोपहर लगभग 02:30 बजे ग्राम छेकुरी रोड़ के पहले मोड़ पर, उसके आधिपत्य की मोटर साईकिल कमांक एम.पी.07/एम.आर./5577 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

फरियादी शिवम् कटारे अ.सा.०२ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 28 / 04 / 2017 से करीबन सात–आठ माह पूर्व की होकर दोपहर के दो–ढ़ाई बजे की है। वह गुर्जर के साथ उसकी मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 30 / एम.एल / 2629 से ग्राम कनाथर से मौ जा रहा था। तभी छेक्री मोड पर पहॅचने पर सामने से उसकी मोटर साईकिल में एक मोटर साईकिल चालक ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसके दोनों घूटनों एवं दाहिने हाथ की उंगली में चोट आई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना मौ में की गई थी, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में उसका ईलाज कराया था। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा–मौका प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही ६ गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी शिवम् अ.सा.02 ने आरोपी राधाकिशन द्वारा दिनांक :- दिनांक : 18/07/2016 को दोपहर लगभग 02:30 बजे ग्राम छेक्री रोड़ के पहले मोड़ पर, उसके आधिपत्य की मोटर साईकिल कमांक एम.पी.07 / एम.आर. / 5577 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया हैं। इस वावत फरियादी शिवम अ.सा.०२ की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 एवं पुलिस कथन प्र.पी.05 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

- आरोपी तथा फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी शिवम अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी राधाकिशन ने दिनांक :--18 / 07 / 2016 को दोपहर लगभग 02:30 बजे ग्राम छेकुरी रोड़ के पहले मोड़ पर, उसके आधिपत्य की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07 / एम.आर. / 5577 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

अंतिम निष्कर्ष

- उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी राधाकिशन के विरूद्ध धारा 279 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी राधाकिशन को भा.द.सं. की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- प्रकरण में जब्तश्रदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07 / एम.आर. / 5577 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी राधाकिशन के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)